

विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उत्पीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

संघीय ढांचे को पुनर्स्थापित करने वाला सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

जब भी सर्वोच्च न्यायालय की सऊ कुछ कमजोर होती दिखाई देती है, तो कुछ न्यायाधीश अपने निर्णय के द्वारा खोया हुआ विश्वास पुनः अर्जित कर लेते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय, सत्ता से समझौता करके उस की इच्छानुसार निर्णय करने लगा है। किंतु ,हाल ही में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वह संविधान में उल्लेखित भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करने वाला है।

इस निर्णय को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए विस्तार से इसकी पृष्ठभूमि का उल्लेख करना पाठकों के लिए उपयुक्त होगा।

वैसे तो सभी केंद्र सरकारें राज्यापालों का उपयोग अपने राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि हेतु करती रही है, किंतु गत कुछ वर्षों से, जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शासन करने लगी है, यह प्रवृति अधिक देखी गई है। केंद्र सरकार, विभिन्न विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को अस्थिर करने या उनके काम में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करती रही है। ऐसा करने में उन्होंने राज्यापाल का उपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे कई उदाहरण सामने हैं जब विभिन्न राज्यापाल ने चुनी हुई राज्य सरकारों को अस्थिर करने या उनके द्वारा लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति में बाधा उत्पन्न करने का कार्य किया है । इनमें से कुछ उदाहरण निम्न हैं:–

केरल के तत्कालीन राज्यापाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य सरकार द्वारा दिए भाषण को विधानसभा में पढ़ने से मना कर दिया और अपनी ओर से कुछ हिस्से जोड़ दिए जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था।

पश्चिम बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जगदीप धनखड़ ने तो स्पष्ट रूप से केंद्र में सत्ताधारी दल भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य किया और चुनी हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काम में बाधा पहुंचाई। भाजपा यह चाहती थी कि येन-केन-प्रकारेण, पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल की जाय। यह अलग बात है कि भाजपा पूरा जोर लगाने के बावजूद इस प्रयास में सफल नहीं हो पाई और अच्छे बहुमत के साथ ममता बनर्जी पुनः सत्ता में आई और पुनः मुख्यमंत्री बनीं।

वर्ष २०१६ में हिमाचल प्रदेश के राज्यापाल के. के. पॉल ने हरीश रावत की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश की, जिसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति को भेजा। उनके अनुमोदन के बाद, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इस आदेश को हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। उस समय वहां के मुख्य न्यायाधीश के एम जोसेफ की खंडपीठ ने राष्ट्रपति आदेश लगाने के निर्णय को निरस्त कर दिया। इसकी अपील सर्वोच्च न्यायलय में हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पुनः बहाल करते हुए एक निश्चित अवधि में सरकार को बहुमत सिद्ध करने को कहा। इस निर्णय से हरीश रावत ने पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तत्पश्चात, हरीश रावत ने विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर दिया।

महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे द्वारा दलबदल करने पर महाराष्ट्र विकास अगाड़ी की सरकार जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही थी, उसे अल्पमत में मानते हुए ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि उद्धव ठाकरे ने स्वयं ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दल बदल करने वाले शिंदे गुट के विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की बात को राज्यापाल कोशियारी द्वारा नहीं माना गया। इसके कारण शिंदे के मुख्यमंत्रित्व में नई सरकार महा युति की बनवा दी गई। विधायकों की सदस्यता निरस्त नहीं करने के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जहां लंबे समय तक सुनवाई नहीं हो पाई। जब सुनवाई हुई, तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से माना कि उद्धव ठाकरे की सरकार को हटाना अवैध और असंवैधानिक था। इसके बावजूद न्यायालय ने पुनः उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में इसलिए बहाल नहीं किया कि उन्होंने विधानसभा में शक्ति परीक्षण के पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिंदे की सरकार को असंवैधानिक मानने के बाद भी राज्यापाल के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई और शिंदे की सरकार को बने रहने दिया गया।

दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और बी एन सक्सेना तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मध्य तो पूरे समय ही विवाद चलता रहा। जब सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार अपने आदेश से विभिन्न सेवाओं के कामिनों पर दिल्ली सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण मान लिया, तो केंद्र सरकार ने कानून में ही बदलाव कर दिया। इसके कारण सेवाओं के अधिकारियों पर दिल्ली सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण समाप्त हो गया।

इसी प्रकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा विधानसभा सत्र आहूत करने के लिए राज्यापाल को प्रस्ताव भेजा तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मजबूरन, राज्य सरकार को अन्ततः सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी, जिसने राज्यापाल को सत्र आहूत करने के निर्देश दिए। जम्मू और कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की चुनी हुई सरकार को राजपाल ने अल्प मत में होने की बात करते हुए, विधानसभा भंग कर के राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दी। महबूबा मुफ्ती यह आरोप लगाती ही रही कि उन्हें बहुमत सिद्ध करने का समुचित समय नहीं दिया गया। उपरोक्त सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार राज्यापालों को अपने एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हुए, विपक्षी दलों की सरकारों को अस्थिर करने का एवं उनके कार्यों में बाधा डालने का कार्य करती रही है। यदि इन राज्य सरकारों द्वारा ऐसा कोई निर्णय लिया जाए जो केंद्र को पसंद नहीं हो तो उसे रोकने के लिए राज्यापाल के माध्यम से सभी प्रकार की बाधाएं राज्य सरकार के लिए उत्पन्न हो सकती जाती हैं। केंद्र सरकार की यह प्रवृत्ति, संविधान द्वारा प्रदत्त हमारे संघीय ढांचे पर चोट करती है ।

भारत राज्यों का संघ है और राज्यों और केंद्र के अधिकारों को स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेखित किया हुआ है। कानून बनाने के भी अधिकार विभिन्न विषयों पर अलग-अलग दिए गए हैं । सभी प्रकार के विषयों को तीन सूची में बांटा गया है केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची । राज्य सूची में जो विषय सम्मिलित हैं उनके बारे में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार राज्यों का है और विधानसभा द्वारा बिल पारित होने पर उसे औपचारिक रूप से राज्यापाल के पास सहमति हेतु भेजा जाता है । राज्यापाल द्वारा इस कार्य को समय पर न करने से और लंबे समय तक रोकने से ऊपर लिखित स्थितियां उत्पन्न हुई हैं ।

तमिलनाडु के राज्यापाल एन रवि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने सभी संवैधानिक प्रावधानों को ताक पर रखते हुए तमिलनाडु की सरकार द्वारा बनाए गए बहुत सारे महत्वपूर्ण बिलों को, जिन्हें विधानसभा ने पारित कर दिया था,पर अपनी सहमति नहीं दी। कुछ बिलों को जब विधानसभा की लौटा दिया गया तो उन्हें विधानसभा ने दोबारा पारित कर दिया। उसके बाद भी उन पर हस्ताक्षर नहीं किए और उन्हें राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर लिया। वहां भी लंबे समय ये तक लटके रहे । इनमें वह बिल भी था, जिसके द्वारा विश्विद्यालयों के कुलाधिपति पद पर राज्यापाल के स्थान पर सरकार के प्रतिनिधि को बनाने का प्रावधान किया गया था। ऐसी स्थिति में तमिलनाडु सरकार के पास सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

सर्वोच्च न्यायालय ने ८ अप्रैल, २०२५ को इस प्रकरण में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व निर्णय दिया है जिसमें न केवल राज्यापाल बल्कि राष्ट्रपति को भी एक प्रकार से यह सलाह दी है कि वह अनिश्चित काल तक विधानसभाओं द्वारा पारित बिलों को रोक कर नहीं रख सकता।

यह उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद २०० के अनुसार, विधानसभा द्वारा कोई बिल पारित होने के बाद राज्यापाल को सहमति हेतु भेजा जाता है, तो ये या तो सहमति प्रदान कर देंगे या अपनी टिप्पणी के साथ पुनः सरकार को भेज देंगे। इसके बाद छह माह में विधानसभा उस पर पुनःविचार कर उसी स्थिति में या संशोधन के साथ पारित कर, राज्यापाल को भेजेगी। इसके बाद राज्यापाल या तो सहमति प्रदान कर देंगे या अनुच्छेद २०१ के अंतर्गत राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजने हेतु आरक्षित कर लेंगे। फिर, राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार राज्यापाल उस पर सहमति देंगे।

उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद २०० और २०१ में निर्णय हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने एक माह की समय सीमा निर्धारित कर दी है। इसी प्रकार राष्ट्रपति से भी अपेक्षा की है कि वे अधिकतम तीन माह में अपना निर्णय दे दें।

संविधान ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों के कार्य का विभाजन किया है और अपेक्षा की है कि सभी एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करेंगे। डॉ. अंबेडकर ने संविधान बनाने समय कहा था कि संविधान किनारा भी अच्छा क्यों न हो, उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वह बुरा ही सिद्ध होगा। राज्यापालों द्वारा अपने कार्य व्यवहार से यही सिद्ध किया जा रहा है। इसी के फलस्वरूप अनिश्चितकाल तक बिल बिना निर्णय के पड़े रहे हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्यापालों के लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा। यह एक स्वागत योग्य निर्णय है जिसने संविधान की भावना को अधुण रखने का कार्य किया है।

संविधान निर्माताओं ने कभी यह नहीं सोचा होगा कि राज्यापाल महीनों या वर्षों तक विधान सभा द्वारा पारित बिलों को रोककर रखेंगे। सामान्यतया, विधानसभा में कोई भी बिल पारित होने के बाद दो-तीन दिनों के अंदर राज्यापाल के हस्ताक्षर होकर सरकार को प्राप्त हो जाता है। सरकार की अधिघोषणा के बाद वह कानून का रूप ले लेता है।

राज्यापाल द्वारा अनिश्चितकाल तक बिलों को रोके रखने के कारण, तमिलनाडु सरकार द्वारा लिए गए निर्णय जनता के लिए लागू नहीं हो पाे थे। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और इसकी विस्तृत सुनवाई के पश्चात एक ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पारदीवाला और न्यायाधीश महादेवन ने ८ अप्रैल, २०२५ को दिया है। निर्णय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यापाल के पास लंबित बिलों को राज्यापाल द्वारा अनुमोदित मान लेने के निर्देश दिए हैं । राज्य सरकार ने इसकी अनुपालना में विलिप्त जारी करके, बिना राज्यापाल के हस्ताक्षर के ही, इन्हें कानून के रूप में अधिघोषित कर दिया ।

आशा की जानी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद, राज्यापाल अपनी संवैधानिक मर्यादा को ध्यान में रखकर काम करेंगे न कि केंद्र में सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता के रूप में। ऐसे करके ही वे संघीय ढांचे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर पाएंगे।

–अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

साहित्य और साहित्यकार ही समाज को दिशा दे सकते हैं : प्रो. घासीराम वर्मा

प्रयास संस्थान ने साहित्यिक उपलब्धियों के लिए छह लेखकों को सम्मानित किया

चुरू/जयपुर। प्रयास संस्थान की ओर सूचना केंद्र चुरू में आयोजित समारोह में इक्कावन हजार राशि का “घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार” वर्ष २०२२ के लिए सवाई माधोपुर के विनोद पदरज को कविता संग्रह “आवाज अलग-अलग हैं”, २०२३ का फतेहपुर में जन्में विख्यात कवि, गीतकार कृष्ण कल्पित को कृति “रेख्ते के बीज और अन्य कविताएं”, वर्ष २०२४ को जयपुर निवासी जितेंद्र भाटिया को कृति “कांक्रोट के जंगल में गुम होते शहर” को प्रदान किया गया। समारोह में ग्यारह हजार रुपये का “रूकमणी वर्मा युवा साहित्यकार पुरस्कार” वर्ष २०२२ के लिए दूंगरपुर के हर्षिल पाटीदार को, वर्ष २०२३ के लिए भोजपा-राजगढ़ की डिंपल राठौड़ को एवं २०२४ का जयपुर के मेवाराम गुर्जर को प्रदान किया गया।

आयोजित हिंदी साहित्य पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि प्रख्यात साहित्यकार ममता कालिया

थी। मुख्य वक्ता साहित्यकार भगवानदास मोरवाल और अध्यक्षता अटानवे वर्षीय शिक्षाविद् प्रो. घासीराम वर्मा ने की। इस अवसर पर ममता कालिया ने कहा कि हिंदी साहित्य का परिदृश्य आज बहुत उत्साहजनक नहीं है। प्रकाशन संकट हिंदी के सामने सबसे बड़ा संकट है। अच्छी रचनाएं प्रकाशन का इंतजार करती रह जाती हैं तो वहीं प्रकाशक लेखकों से पैसे लेकर चुनिंदा प्रतियां

प्रकाशित कर वाहवाही लूटते हैं। सरकारी खरीद और बाजार की अपनी परिभाषाएं हो गई हैं। कृति आज प्रतिकृति से पराजित हो रही हैं। मुख्य वक्ता साहित्यकार भगवानदास मोरवाल ने कहा कि सामाजिक और सांस्कृतिक सौहार्द के जरूरत वाले इस समय में लेखकों पर बड़ा दायित्व है। समारोह के अध्यक्ष अटानवे वर्षीय शिक्षाविद् प्रो. घासीराम वर्मा ने कहा कि साहित्य और साहित्यकार ही

समाज को दिशा दे सकते हैं।

समारोह में स्वागत भाषण एवं साहित्यकारों का परिचय प्रो. एचआर इंसरण ने दिया। डॉ. एमपी बुढानिया, रामेश्वर प्रजापति, ओमप्रकाश तंवर, रामरतन सिहाग, डॉ. रामकुमार घोटड़, सुधींद्र सुधी, राजीव बहड़, रियाजत अली, नसीम बानो, अभिनव सरोव, अंजु नेहरा, विकास मील, सददाम हुसैन, जमील चौहान, लालचंद सैनी, सत्यनारायण

बाकोलिया, राजेंद्र कसबां, डॉ. विशाल विक्रम, श्यामसुंदर शर्मा, विजयकांत शर्मा, विवेकदीप बौद्ध, ज्योत्सना राठौड़, रूकमानंद भाकर, गीता रावत, केआर पाटवाल, मोहनलाल अर्जुन, राधेश्याम कटारिया, जगदीश पंवार, पंकज शर्मा आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। धन्यवाद प्रयास संस्थान के अध्यक्ष डॉ. दुलाराम सहारण ने दिया। संचालन साहित्यकार उम्मेद गोठवाल ने किया।

वरिष्ठ अध्यापक की पांच, व्याख्याताओं की तीन सत्रों की पदोन्नति बकाया

सूत्रों के अनुसार पदोन्नति समय पर नहीं होने से राज्य में माध्यमिक शिक्षा विभाग में अध्यापक से लेकर प्रधानाचार्य तक के करीब ६९४३३ पद रिक्त हैं

श्रीगंगानगर, (निसं)। शिक्षा विभाग

में हाल ही में उपप्रधानाचार्य से प्रधानाचार्य व दो सत्रों २०२१-२२ व २०२२-२३ की वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता और उन प्रधानाचार्य से प्रधानाचार्य की पदोन्नति के उपरांत पदस्थापन आदेश जारी हुए हैं, लेकिन राज्य के सबसे बड़े शिक्षा विभाग में १ अप्रैल से अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक की सत्र २०२१-२२ से २०२५-२६ तक व वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों पर तीन सत्रों २०२३-२४ व २०२४-२५ और २०२५-२६ की पदोन्नति बकाया हो गई है। अब देखने वाली बात यह है कि शिक्षा विभाग यह बकाया पदोन्नति करवाने के लिए कब सुध लेगा।

सूत्रों के अनुसार पदोन्नति समय पर नहीं होने से राज्य में माध्यमिक शिक्षा विभाग में अध्यापक से लेकर प्रधानाचार्य तक के करीब ६९ हजार ४३३ पद रिक्त हैं। इसका खामियाजा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्र-छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। राज्य के सभी सैकड़ों स्कूलों को उमा स्कूलों में क्रमोन्नत करने से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का पहले से ही टोटा है। इस बीच पदोन्नति अटकने से समस्या और बढ़ गई है। राज्य में क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक स्कूलों में भी व्याख्याताओं की कमी बनी हुई है। मार्च २०२२ में ३ हजार ८३४ स्कूलों को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में और बाद में १ हजार ८२५ स्कूलों को उच्च

- शिक्षक नेताओं का कहना कि बिना पर्याप्त शिक्षकों के स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है**
- इसका खामियाजा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्र-छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है**

प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया। इस प्रकार सरकारी विद्यालयों के नामांकन में गिरावट का खतरा भी मंडरा रहा है। शिक्षक नेताओं का कहना कि बिना पर्याप्त शिक्षकों के स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों के स्कूल इससे अधिक प्रभावित हैं, जहां पहले से ही संसाधनों की कमी है। पिछले तीन

मंडल तबादला होने से वरिष्ठा खत्म हो जाती हैं। वरिष्ठ अध्यापक व व्याख्याता के ५० प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती व ५० प्रतिशत पदों पर पदोन्नति से भरने का नियम है।

मोहर सिंह सलावद, प्रदेशाध्यक्ष, शिक्षक संघ रेसटा, राजस्थान का कहना है कि अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक व वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की बकाया पदोन्नतियों को बेवजह अटकाया जा रहा है। विभाग में वरिष्ठ अध्यापक की पांच व व्याख्याताओं की तीन सत्रों की पदोन्नति बकाया चल रही है। बकाया पदोन्नति जल्द करनी चाहिए जिससे राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को शिक्षक मिल सके।

निजी स्कूल संचालक थोप रहे महंगी किताबें, शिक्षा विभाग मौन

बीकानेर, (निसं)। शहर के निजी स्कूलों में किताबों के नाम पर अभिभावकों की जेब पर हर साल हजारों का डाका डाला जा रहा है। स्कूल संचालक मनमर्जी से पब्लिशर चुनते हैं और उन्हीं की किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर करते हैं। शिक्षा विभाग इन पर कार्रवाई करने के बजाय तमाशबीन बना बैठा है। शिक्षा विभाग इस अवैध मुनाफाखोरी पर कार्रवाई नहीं कर रहा है।

शिक्षा का अधिकार कानून जहां एक ओर बच्चों को समान और किफायती शिक्षा की गारंटी देता है, वहीं दूसरी ओर निजी स्कूल संचालक इस कानून की ध्वजियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। शहर के अधिकांश निजी स्कूलों में कक्षा पहली से पांचवीं तक के बच्चों के लिए महंगी और गैर-मान्यता प्राप्त पब्लिशरों की किताबें थोप दी जाती हैं। स्थिति यह है कि एक अभिभावक को एक बच्चे के लिए लगभग ५००० रूपए की किताबें खरीदनी पड़ रही हैं,

- स्थिति यह है कि एक अभिभावक को एक बच्चे के लिए लगभग पांच हजार रूपए की किताबें खरीदनी पड़ रही हैं**
- निजी स्कूल संचालक मनमर्जी से पब्लिशर चुनते हैं और उन्हीं की किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर करते हैं**

जो कई सरकारी या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की किताबों से कई गुना महंगी हैं। किताबें स्कूल के तय दुकान या स्टॉल से ही खरीदने का दबाव बनाया जाता है। शिक्षा विभाग इस अवैध मुनाफाखोरी पर चुप है।

राशिफल मंगलवार 15 अप्रैल, 2025
अनिल शर्मा
वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत २०८२, विशाखा नक्षत्र रात्रि ३:१० तक, सिद्धि योग रात्रि ११:३२ तक, गर करण दिन १०:५६ तक, चन्द्रमा आज रात्रि ८:२७ से वृश्चिक राशि में संचार करेगा। ग्रह स्थिति: सूर्य-मेष, चन्द्रमा-तुला, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में। आज त्रिपुष्कर योग सूर्योदय से दिन १०:५६ तक है। राजयोग रात्रि ३:१० से आरम्भ होगा। भद्रा रात्रि १२:०७ से आरम्भ होगी। आज वैशाखादि (बंगाल), वैशाख विहु और विगुविधु (आसाम) है। श्रेष्ठ चौघड़िया: चर ९:१७ से १०:५२ तक, लाभ-अमृत १०:५२ से २:०२ तक, शुभ ३:३७ से ५:१२ तक। राहूकाल: ३:०० से ४:३० तक। सूर्योदय ६:०७, सूर्यास्त ६:४७

मे़ष	सिंह	धनु
व्यावसायिक कार्यों के लिए यात्रा संभव है। नैकीरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। परिवार में हर्षोल्लास का माहौल रहेगा।	व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुभव प्राप्त होंगे। नैकीरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।	आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा।
वृष	कन्या	मकर
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। विवाहित मामलों से रहल मिल सकती है।	व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।	व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आज व्यावसायिक बातों सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
मिथुन	तुला	कुंभ
व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनें लेंगे। परिवार में मौलिक कार्य समन हो सकते हैं।	व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। अटके हुए कार्य बनें लेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बनें लेंगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
कर्क	वृश्चिक	मीन
घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है। आज नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।	घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।	चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।